

बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष हेतु
आन्तरिक शिकायत समिति

- | | |
|---|--------------------|
| 01. डॉ. (श्रीमती) मनदीप खालसा - पीठासीन अधिकारी | मो.नं. 98264-08780 |
| 02. डॉ. (श्रीमती) प्रभा वेरुलकर - सदस्य | मो.नं. 94255-16068 |
| 03. डॉ. (श्रीमती) सरला द्विवेदी - सदस्य | मो.नं. 95840-17870 |
| 04. श्रीमती शकुन्ताला साहू - सदस्य (अशासकीय) | मो.नं. 98261-63837 |

शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है

रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2001
(क्र.27 सन 2001):-

1. अधिनियम की धारा 03 के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रैगिंग लेना या उसमें शामिल होना दण्डनीय अपराध है ।
2. धारा 04 के अनुसार रैगिंग की सजा 05 वर्ष का कारावास या 5000.00 जुर्माना या दोनों ही हो सकती है ।
3. धारा 05 के अनुसार रैगिंग एक संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय अपराध है ।
4. धारा 04 के अधीन दोष सिद्ध पाए जाने पर संस्था से निष्कासित किया जाएगा ।

पीडित विद्यार्थी एंटी रैगिंग कमेटी को तत्काल शिकायत करें।

डॉ. (श्रीमती) प्रभा वेरुलकर

मो. नंबर-9425516068

संयोजक एंटी रागिंग कमेटी

(डॉ. चन्द्रशेखर चौबे)

प्राचार्य

मो. नंबर - 9826036199

शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)



Ragging is a Crime



B.C.S.Govt.P.G.College, Dhamtari